



भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
संपदा विभाग Estate Department
बेंगलूरु Bengaluru

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर, नंदिनी लेआउट, बेंगलूरु में फ्लैटों की सफाई और रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त

ई-निविदा संख्या: [RBI/Bangalore Regional Office/Estate/66/25-26/ET/988](#)

उपरोक्त कार्यों के लिए 'प्री-बिड मीटिंग' 18 फरवरी 2026 को दोपहर 04.00 बजे संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु में निर्धारित की गई थी। कोई भी बोलीदाता इसमें शामिल नहीं हुआ। हालाँकि, मेसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक प्रा. लिमिटेड ने बोली-पूर्व बैठक के लिए मेल के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न/मुद्दे उठाए। इनमें से प्रत्येक प्रश्न/मुद्दे के संबंध में बैंक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया/स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	प्रश्न/ प्रस्ताव/ मौजूदा स्थिति	बैंक की प्रतिक्रिया/ संशोधित शर्त
1	पृष्ठ संख्या 36 - इस निविदा में उल्लिखित अनुमोदित सामग्रियों की सूची लेकिन मात्रा की वास्तविक आवश्यकता इस निविदा में उल्लिखित नहीं है, कृपया स्पष्ट करें।	प्रदान की गई सामग्रियों की सूची और प्रकार सांकेतिक प्रकृति के हैं। मात्रा मात्रा की अनुसूची के अनुसार होगी।
2	पृष्ठ संख्या 38, बिंदु संख्या 3 तथा पृष्ठ संख्या 56, आइटम संख्या 1 में उल्लिखित सभी दिन सप्ताह के आधार पर निर्दिष्ट किए गए हैं; परंतु पृष्ठ संख्या 65 के अनुलग्नक में मासिक 26 दिनों का उल्लेख किया गया है। कृपया इस विसंगति के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रदान करें।	प्रत्येक मजदूर प्रति सप्ताह छह (6) दिन कार्य करेगा। तथापि, मजदूरों को सात (7) दिनों के लिए घूर्णन के आधार पर साइट पर उपलब्ध रहना अपेक्षित होगा।
3	बिंदु संख्या 17, पृष्ठ संख्या 40 – कचरा बैग की वास्तविक आवश्यक मात्रा।	मात्राओं की अनुसूची में कचरा बैगों की मात्रा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया है।
4	अनुबंध 1 वर्ष की अवधि के लिए है, जो 2 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया है तथा 12 महीने के बाद नियमित सेवा के आधार पर लागू होगा। इस संबंध में, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि ग्रेच्युटी की प्रतिपूर्ति को स्वीकृत करने की कृपा करें,	बिंदु संख्या 17, पृष्ठ संख्या 34 के अनुसार: "ठेकेदार कर्मचारियों को मासिक वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें छुट्टी वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी एवं अन्य संबंधित लाभ शामिल होंगे।" ठेकेदार उक्त सभी लागतों को उद्धृत राशि में समाविष्ट करेगा।

	जो वास्तविक संवितरण के आधार पर तथा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी।	
5	यह घोषित किया गया है कि सभी श्रमिकों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा, जिसकी लागत उद्धृत दरों में सम्मिलित की जाएगी अथवा अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी।	सभी श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा को उद्धृत दर में शामिल किया जाना चाहिए और इसका अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

नोट: उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं। बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा होगा। निविदा दस्तावेज के अन्य सभी भाग अपरिवर्तित बने हुए हैं। निविदाओं को प्रस्तुत करने का अर्थ यह माना जाएगा कि यह बोली दस्तावेज और संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप है। असमानता की स्थिति में अंग्रेजी में प्री-बिड मीटिंग के मिनट्स को मान्य माना जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंगलुरु**